Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the Gangapur (090) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri RAMKESH VILLAGE KHIDARPUR, POST MAHANANDPUR, TEH. WAZIRPUR, DIST. GANGAPUR CITY Sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :- Sawai Madhopur

Dated :- 03/12/2023

(Radheyshyam Meena)

Sub सिंटानिन क्षाक्तिस्टिन & Sub शिंटानिन क्षाक्तिस्टिन & Sub शिंटानिन क्षाक्तिस्टिन Sub शिंटानिन क्षाक्तिक्ति (SDM) क्षितिप्रसिक्ति

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन मे उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

गंगापुर (090) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 मे अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री रामकेश ग्राम खिदरपुर, पोस्ट महानन्दपुर, तहसील वजीरपुर, जिला गंगापुर सिटी जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं I

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान- सवाई माधोपुर दिनांक- 03 दिसम्बर 2023

(राधेश्याम मीणा)

रिटर्निंग अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मि

रिटर्निम् अपूरिकसर जिल्पनसभा क्षेत्र—गंगापुर(90)